U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tk/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh &ch- ,y- dkBkjh] vkbZ-,-,l

jktLo f}rh; vihy l[;k 300@2016

fofo/k ikFkuk i= l[;k @2019

ikFkhx.k ¼jLikMUVl½	**cuke**	**vikFkhx.k ¼vihykUV½**
प्रकाश पुत्र भंवरलाल वगैराह		निजामुदीन पुत्र शेषुदीन वगैराह

प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त करने अपील (दावा प्रस्तुत होने से अपील निष्प्रभावी)

निर्णय

दिनांकः 27 नवम्बर, 2019

1. उपरोक्त विचाराधीन द्वितीय राजस्व अपील निजामुदीन वगैराह बनाम प्रकाश वगैराह में दिनांक 19.11.2019 को रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता की ओर से उपरोक्त विषय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. उक्त प्रार्थना पत्र पर आज दिनांक 25.11.2019 को दोनों पक्षकारान की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण के द्वारा की गई बहस को सुना।

3. दौरान सुनवाई अप्रार्थीगण(रेस्पोडेन्टस) के अभिभाषक के द्वारा यह कथन किया गया कि अपील में वर्णित भूमि खसरा संख्या 772 रकबा 11 बीघा 7 बिस्वामें अपीलार्थीगण ने स्वयं के पिता का हक व हिस्सा बताया एवं इस आधार पर म्यूटेशन को चुनौती दी हैतथा अपील प्रस्तुत करने के उपरान्त अपीलार्थीगण ने इसी भूमि बाबत घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद (दिनांक 27.10.2017 को) दिनांक 3.11.2017 को सहायक कलेक्टर न्यायालय पाली के समक्ष स्वयं की खातेदारी की घोषणा सहित बेचाननामा दिनांक 6.3.1964, मूल नामा0 संख्या

126 व पश्चातवृति नामा0 संख्या 887, 2247, 2884 को भी चुनौती देते हुए निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है।

4. ऐसे में जब न्यायालय हाजा के समक्ष विचाराधीन अपील में वर्णित भूमि के सम्बन्ध में वर्तमान अपीलार्थीगण के द्वारा घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद अपील प्रस्तुत करने पश्चात पेश कर दिया गया है तो यह अपील निष्प्रभावी हो गई है, क्योंकि पक्षकारान के हकों की घोषणा सक्षम न्यायालय के माध्यम से ही हो सकेगी। अतः अपीलान्टस की उपरोक्त अपील को उनके द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण अपील को निष्प्रभावी होना मानकर खारिज कर दी जावें।

5. इस सम्बन्ध में प्रार्थी के अधिवक्ता के द्वारा कथन किया किया कि विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में इस प्रकार के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये है, यथा निर्णयः—आरआरडी 2000 पेज 168 पैरा—9, आरआरटी 2003 पेज 647 एस.सी., आरआरडी, 2000 पेज 30 पैरा—5, आआरडी 2010 पेज 148 रेवेन्यू बोर्ड पैरा 8 इत्यादि।

6. प्रत्युतर में अप्रार्थीगण (अपीलार्थीगण) के अभिभाषक द्वारा यह कथन किया कि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि भू—राजस्व अधिनियम एवं सी0पी0सी0 के प्रावधानों/नियमों में यह कही भी अंकित किया हुआ अथवा निर्देशित नहीं किया हुआ है कि वादग्रस्त भूमि के दर्ज नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील होने के उपरान्त उन्हीं पक्षकार के द्वारा अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु सक्षम न्यायालय के सक्षम वाद प्रस्तुत कर दिये जाने पर उनकी अपील निष्प्रभावी हो जाती है तथा सुनवाई करने योग्य नहीं रह जाती। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गई निर्णय नजीरें इस प्रकार के अपीलीय प्रकरणों में किसी भी स्तर पर लागू होना नहीं माने जा सकते है। अतः प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे तथा प्रस्तुत द्वितीय राजस्व अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जावें।

7. हमने प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, निर्णय नजीरों का अवलोकन किया एवं की गई बहस पर मनन किया। इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत यह है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है क्योंकि राज0 भू राजस्व अधिनियम एवं सी0पी0सी0 के तहत ऐसे प्रावधान नहीं दिये हुए है कि एक ही वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दर्ज किये गये नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत हो जाने पर तथा उसके पश्चात उन्हीं पक्षकारान के द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष अपने हक अधिकारों की प्राप्ति के लिये घोषणात्मक वाद प्रस्तुत कर दिया जाता है तो प्रस्तुत अपील सुनवाई योग्य नहीं रह जाती और अपील निष्प्रभावी हो जाती है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया, वो अपीलीय न्यायालय की विचाराधीन कार्यवाही पर लागू होना नहीं माने जा सकते। निर्णय नजीरों में केवल मात्र यह उल्लेखित किये हुए है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में यदि घोषणात्मक वाद दायर हो चुका हो तो उक्त भूमि बाबत निर्धारित किये जाने वाले नामान्तरकरण की प्रस्तावति प्रक्रिया को स्थगित किया जा सकता है जिससे वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अलग–अलग आदेश पारित न हो सके।

8. ऐसे में प्रार्थीगण (रेस्पोडेन्टस) की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रकरण में गुणावगुण पर बहस हेतु पत्रावली दिनांक 09.12.2019 को निर्धारित की जाती है।

¼ch0 ,y0 dkBkjh½
fMoh tuy dfe'uj]
tk/ki|j